(5)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/304

जगन्नाथ आत्मज देवीराम जाति धाकड़ निवासी ग्राम तुलसी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0

– अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
2. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलेक्टर बून्दी

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री बृजबिहारी गोचर, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री भंवरलाल गूर्जर, पैरोकार सरकार, रेस्पो. संख्या 1, 2 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 28.10.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 65/2015 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलप्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 176/265 रकबा 1 बिस्वा व खसरा नम्बर 176/266 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम तुलसी पटवार हल्का जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान में विस्थित है जो हाल जमाबंदी में चरागाह दर्ज है। उक्त आराजीयात को वादी के पिता देवीराम ने करीबन 50 वर्ष पूर्व खाल को हांक जोत कर काफी रकम खर्च करके काबिल काश्त बनाई थी और लगातार काश्त करते चले आ रहे थे। वादी के स्वर्गीय पिता देवीराम जी के बाद वादी उक्त आराजी पर काबिज हुआ व अभी काबिज होकर लगातार काश्त करता चला जा रहा है। वादी के स्वर्गीय पिता व वादी ने अथक परिश्रम कर काफी धन खर्च करके उक्त भूमि की काबिल काश्त बनाया है और 50 वर्षों से अधिक समय से निरन्तर सभी की जानकारी में खुल्लमखुल्ला तरीके से निर्वाध एवं एवं अनवरत बहैसियत खातेदार काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 176/265 रकबा 1 बिस्वा पर वादी के मृतक पिता देवीराम जी ने काफी रकम खर्च करके आराजीयात की सिंचाई हेतु

Cont. 2

कुआं भी खुदवाया था जिसका इन्द्राज खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2061 में भी दर्ज है जो आज तक आराजी पर है। वादी ने उक्त आराजी पर कुंए पर लाईट कनेक्शन होकर बोरिंग व मोटर लगी हुई है। उक्त आराजीयात के साथ ही ग्राम तुलसी में आराजी खसरा नम्बर 227/1 रकबा 13 बीघा, खसरा नम्बर 228/1 रकबा 12 बीघा कल रकबा 25 बीघा विस्थित है जो चरागाह थी। उक्त आराजी को राज्य सरकार प्रतिवादी संख्या द्वारा (इंजिनियरिंग कॉलेज) सांवलिया पब्लिक स्कूल समिति के/आफ जयपुर रोड के नाम खातेदारी मे है तथा खातेदारी दे दी गई है। उक्त प्रकार वादी द्वारा काबिज काश्त उक्त चरण संख्या वर्णित आराजी पर वादी कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा चरागाह भूमि पर खातेदारी दिये जाने के बाद वादी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 176/265 व खसरा नम्बर 176/266 पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने का कोई अधिकार नहीं है व वादी उक्त आराजी पर काबिज रहकर खातेदारी प्राप्त कर काश्त करने के अधिकारी है। वादी को उक्त आराजीयात से बेदखल करने व अन्य कोई आवंटन करने के बारे में दिनांक 16–8–2015 को पटवारी हल्का ने अवगत करवाया इसलिए वाद कारण पैदा हुआ है। उक्त वर्णित आराजी पर वादी को प्रतिवादीगण द्वारा अवैध गैर कानूनी तरीके से बेदखल कर दिया गया और प्रतिवादीगण व उनके अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को स्थायी निषेधाज्ञा से पांद नहीं फरमाया गया तो वादी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह से संभव नहीं होगी और वादी का यह वाद प्रस्तुत करना ही निरर्थक हो जावेगा। उक्त मामला राज्य सरकार के विरुद्ध है जिसमें धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना जरूरी है परन्तु यदि धारा 80 सीपीसी का नोटिस देने व इसकी अवधि तक इन्तजार किया गया तो सरकार कब्जा कर लेंगी व अन्य के आवंटन कर देगी ऐसी सूरत में वाद आवश्यक प्रवृत्ति का माना जाकर नोटिस के अभाव में वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना जरूरी हो गया है। वाद कारण ग्राम तुलसी तहसील तालेडा जिला बूंदी में पैदा हुआ है जिसका वाद सुनने का अधिकार श्रीमान् को प्राप्त है। उक्त वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आर०टी०एक्ट श्रीमान की सेवा में पेश है। उक्त वाद पत्र मय उचित कोर्ट फीस व तलबाना शुल्क के साथ पेश है। अतः प्रार्थना है कि (1) वादी को आराजी खसरा नम्बर 176/265 व आराजी खसरा नम्बर 176/266 कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम तुलसी तहसील तालेडा जिला बूंदी पर खातेदार घोषित किया जावे इस आशय की डिक्री प्रदान की जावे व राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम बतौर खातेदार अंकित किया जावे। (2) प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात पर से वादी के बेदखल नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा में पाबंद किया जावे व इस आशय की डिक्री प्रदान करे। (3) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। (4) अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2016 को वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2016 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 15.05.2025 को केडीए/यूआईटी कोटा के कर्मचारियों द्वारा भूमि खाली करवाने बाबत धमकी देने पर अपीलान्ट द्वारा न्यायालय मे जानकारी की तो उक्त निर्णय की जानकारी हुई, इसके बाद नकल आवेदन प्रस्तुत किया और जिस पर दिनांक 21.05.2025 को अपीलान्ट ने नकल प्राप्त की और उसके पश्चात अपने अधिवक्ता से संपर्क कर यह अपील प्रस्तुत की। इसलिये अपील पेश करने में हुए डिले को कण्डोन किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी जानबूझकर नहीं की है जो संभाविक होने से क्षम्य योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को न्यायहित में कन्डोन फरमाये जाने की कृपा करें। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर विलम्ब को कण्डोन फरमाया जाकर अपील अवधि मध्य होने की आज्ञा फरमाई जावे।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधी. न्यायालय खिलाफ कानून व रूयदाद मिसल होने की बिना पर अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने वाद पत्र मे स्पष्ट तथ्य अंकित किये थे कि वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलांट के पिता श्री देवीराम ने काफी

मेहनत व धन खर्च करके कृषि योग्य बनाई है तथा पिछले 50 वर्ष से भी अधिक समय से उक्त भूमि पर काश्तकारी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे है तथा अपीलान्ट की जीविका का एकमात्र साधन उक्त कृषि भूमि ही है। बाबजूद इसके विचरण न्यायालय ने तथ्यो को नजर अंदाज करके मात्र केम्प कोर्ट मे फोरी तौर पर एवं तनकी के आधार पर दावा खारिज करने का आदेश कर दिया जो निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट द्वारा अपने वाद पत्र के साथ उसके द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर लगातार काश्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किये थे जिसमें कुए पर बिजली कनेक्शन, कर्ता– पिलायी रसीद आदि है किन्तु विचारण न्यायालय ने वाद को गुणावगुण पर सुनने के स्थान पर मात्र इस आधार पर कि भूमि की किस्म चारागाह है वादी का वाद पत्र केम्प कोर्ट में खारिज कर दिया जो निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय ने विचारण के दौरान पटवारी हल्का की रिपोर्ट इस बाबत प्राप्त नहीं की कि वादग्रस्त कृषि भूमि चारागाह के रूप में प्रयुक्त हो रही है या नहीं अन्यथा उक्त भूमि चारागाह योग्य है या नहीं। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने साक्ष्य एवं मौके की स्थिति को नजर अंदाज कर संदर्भित आदेश पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त कृषि भूमि चारागाह होने से आवंटन/नियमन की प्रतिबंधित श्रेणी में आने के कारण एवं नगर विकास न्यास कोटा की पैराफेरी में आने के कारण अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि के नियमन का अधिकारी नहीं माना है जबकि स्वयं अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष सम्वत 2064–67 की जमाबन्दी (खतौनी) प्रस्तुत की है जिसके दिनांक 12.06.2008 को नामान्तरण संख्या 120 द्वारा अपीलान्ट की कृषि भूमि से लगवा कृषि भूमि किस्म चारागाह खसरा संख्या 221/1, 228/1 को इंजीनियरिंग कोलेज जयपुर रोड के दर्ज खाते किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा एक ही किस्म पर दोहरा व्यवहार न्याय संगत नही होने के कारण विचारण न्यायालय का संदर्भित आदेश खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय अपीलान्ट के वाद पत्र को बिना अपीलान्ट को सूचना दिये केम्प कोर्ट में रखकर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय रूप से वाद खारिज कर संदर्भित आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है कि अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष स्पष्ट कर दिया था कि अपीलान्ट वादग्रस्त कृषि भूमि के नियमन हेतु नियमानुसार राशि जमा करवाने का तत्पर है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि ही अपीलान्ट के परिवार की एकमात्र जीविका उपार्जन का साधन है, इस कारण अपीलान्ट वादग्रस्त कृषि भूमि को खाते दर्ज करवाने का अधिकारी होने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर अपीलान्ट का दावा खारिज करने में भारी भूल की है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2016 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी बहस में लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 176/265 व खसरा संख्या 176/266 राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह भूमि दर्ज है, जो गांव के पशुओं के चरने के लिए अधिनियमित भूमि है। धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत चारागाह, पहाड़ी एवं वनभूमि आवंटन योग्य भूमि नहीं है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि उक्त भूमि ग्राम तुलसी(जाखमूण्ड) में विस्थित है तथा नगर विकास न्यास कोटा की पेराफेरी क्षेत्र में विस्थित होने के कारण खातेदारी में दर्ज किये जाने योग्य नहीं है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि वाद विषयक भूमि में अपीलांट का महज अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा है जिसे राज्य के द्वारा अतिक्रमी होना मानते हुए समय–समय पर बेदखल किया गया है। रेस्पोडेन्टगण के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में अंकित तथ्य महत्वपूर्ण एवं अवलोकनीय है। कब्जा मुखालफाना राज्य के विरूद्ध लागू नहीं होता है। अपीलाधीन वाद का निर्णय दिनांक 16.05.2015 को पारित किया गया है तथा अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं के द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रारंभ से ही रही है, इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से स्वीकार योग्य नहीं है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2016 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन है कि प्रश्गनत निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2025 अपीलांट की अनुपस्थिति में कैम्प–कोर्ट के तहत पारित किया गया है, इस कारण अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2025 की जानकारी नहीं हो सकी। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना

उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम तुलसी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी की खसरा संख्या 176/265 व खसरा संख्या 176/266 कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा का स्वयं को खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.04.2016 के अनुसार पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत थी तथा आगामी पेशी 23.05.2016 नियत थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2016 की कोई आदेशिका कायम किए जाने का अंकन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में पत्रावली के दिनांक 14.05.2016 को केम्प कोर्ट में नियत किए जाने का कोई आदेश अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियत तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 14.05.2016 को पत्रावली राजस्व शिविर/कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत जाखमूण्ड में नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में उभयपक्षकारान को केम्प कोर्ट में उपस्थित होने बाबत सम्मन नोटिस/सूचना–पत्र जारी किए जाने कां कोई आदेश भी अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उभयपक्षकारान को केम्प कोर्ट में उपस्थित होने बाबत जारी किए गए किसी प्रकार के सम्मन नोटिस/सूचना–पत्र संलग्न नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.05.2016 की आदेशिका पर किसी पक्षकार के हस्ताक्षर/अंगूठा निसानी अंकित नहीं है। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के लोक–अदालत में रखे जाने के सम्बंध में सभी अपीलांट को न तो कोई सूचना दी गई और न ही कोई सम्मन नोटिस/सूचना–पत्र जारी किए गए। चूंकि अपीलांट को प्रश्नगत प्रकरण के लोक–अदालत में रखे जाने की जानकारी नहीं थी अतः अपीलांट व अन्य पक्षकारान केम्प कोर्ट की दिनांक 14.05.2016 को उपस्थित नहीं हो सके। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत कोई राजीनामा/सहमतिनामा संलग्न नहीं है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार लोक–अदालत केम्प कोर्ट में उन्हीं प्रकरणो का निस्तारण किया जाना विधि सम्मत होता है जिनमें सभी पक्षकारान की ओर से विधिक रूप से राजीनामा/सहमतिनामा प्रस्तुत होता हो। परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में लोक–अदालत में न तो संभी पक्षकार उपस्थित थे और न ही सभी पक्षकारान की ओर से कोई राजीनामा/सहमतिनामा प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में उभयपक्षकारान की बिना सहमति व बिना राजीनामे के लोक–अदालत केम्प कोर्ट के तहत निर्णय पारित किया गया है जो लोक–अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात में विचारधीन थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपरिपक्व पत्रावली को उभयपक्षकारान की सहमति के बिना लोक–अदालत में नियत कर बिना राजीनामे के तथा अपीलांट को सुने बिना ही लोक–अदालत की भावना के विपरीत प्रश्नगत निर्णय व डिक्री

दिनांक 14.05.2016 पारित की है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 65/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम करें तथा उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना में नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 15.12.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/x/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा